संख्या जी—2-729-दस-2001

प्रेषक,

श्री वी० के० शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 06 जून, 2001

विषय :—सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय कार्यवाही संबंधी नियमों का कड़ाई से अनुपालन।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-2

उपर्युक्त विषय में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों से इस प्रकार के अनेक प्रकरण शासन के संज्ञान में आ रहे हैं जिनमें सरकारी सेवक लम्बी-लम्बी अवधि के लिये सेवा से अनुपस्थित हो जाते हैं। कुछ प्रकरणों में कर्मचारी अवकाश की पूरी अवधि के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं देते हैं। कुछ प्रकरणों में तो कर्मचारी 9-10 वर्षों के लिए बिना अवकाश के गायब हो जाते हैं और वापस आने पर उनके विभाग द्वारा उन्हें सेवा में कार्यभार ग्रहण करा लिया जाता है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि अनुपस्थिति की अवधि के नियमों को शिथिल करते हुए अवकाश स्वीकृत कर विनियमित कर दिया जाए। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2-4 के मूल नियम-18 के अनुसार 05 वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के उपबन्ध लागू होते हैं, परन्तु अधिकांश मामलों में संबंधित विभागों द्वारा ऐसी कार्यवाही न करके अनुपस्थिति की अवधि को विनियमित करने के प्रस्ताव किये जाते हैं। इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :—

(1) किसी कर्मचारी के बिना प्रार्थना-पत्र दिये अनुपस्थित हो जाने पर, उसे एक सप्ताह के अन्दर इस आशय की नोटिस, उत्तर देने हेतु 15 दिन की अवधि देते हुए जारी की जाए कि बिना अवकाश के प्रार्थना-पत्र की अनुपस्थिति की अवधि में, उसे अनाधिकृत रूप से क्यों न अनुपस्थित मानते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए तथा क्यों न उस अवधि का कोई वेतन नहीं दिया जाय। नोटिस प्राप्ति के बाद यदि संबंधित सेवक द्वारा 15 दिन के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संबंधित सेवक के विरुद्ध समयान्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(2) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-18 की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा बिना अवकाश के 05 वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति के बाद अनिवार्य रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय और संबंधित सरकारी सेवक को नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सेवा में पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति न दी जाए।

2—कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
वी० के० शर्मा,
सचिव, वित्त।

संख्या जी—2-729(1)/दस–2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।

4—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

5—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।

6—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7—वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।

8—निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को प्रचारार्थ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 40 मा० वित्त—22-6-2001—(476)—10,000—कम्प्यूटर/आफसेट।